मानव रचना, एमवीएन अरावली इंटरनेशनल सरकारी जमीन...

पेज एक का शेष

पर न तो पेड़, पौधे काटे जा सकते हैं, न कोई निर्माण किया जा सकता है और न ही खनन हो सकता है।

यहां ये साफ कर देना ठीक होगा कि 2004 में पर्यावरणविद एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इन जगहों को पीएलपीए के तहत यानी वन क्षेत्र माना था और इसी वजह से कांत एनक्लेव पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी। कांत एनक्लेव भी पीएलपीए लैंड पर बना था। अरावली के अधिकांश फार्म हाउस पीएलपीए लैंड पर हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने अपनी याचिका के साथ उस ऐतिहासिक फैसले की कॉपी लगाई है। मजदूर मोर्चा ने उस फैसलों को भी पढ़ा है। फैसले में कहा गया कि हरियाणा सरकार की इस दलील को अदालत नामंजूर करती है कि पीएलपीए लैंड वन क्षेत्र नहीं है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय अरावली और दिल्ली-फरीदाबाद सीमा के पांच किलोमीटर क्षेत्र में बोरिंग पर भी पाबंदी लगा दी थी।

एमसी मेहता बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह अंश अपनी कहानी खुद बताता है- हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा सरकार ने अरावली में जिन जमीनों को पीएलपी में नोटिफाई किया है वे वन और वन क्षेत्र की जमीनें हैं। हकीकत यह है कि खुद हरियाणा सरकार अरावली को कई दशक से वन क्षेत्र मानती रही है। उसके तमाम दस्तावेज इसके सबूत हैं। इसलिए इस वैधानिक स्थिति को बदलने या इसमें कोई संशोधन करना अदालत जरूरी नहीं समझती।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में यह भी साफ किया था कि अगर इस इलाके और खासकर पीएलपीए जमीनों पर कोई निर्माण किया गया हो तो उसे अवैध घोषित करते हुए गिरा दिया जाए।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी खोला भेद

मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मॉडर्न विद्या निकेतन (एमवीएन) स्कूल और अरावली इंटरनेशनल स्कूल वन विभाग हरियाणा की जमीन पर हैं, इसकी पुष्टि कुछ और तथ्यों की पड़ताल से भी होती है। जिसमें केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पक्ष स्पष्ट है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के रमेश आर्य ने 22 और 23 जनवरी 2020 को आरटीआई के तहत केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछा कि क्या मंत्रालय ने इन तीनों शिक्षण संस्थानों को कोई एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) और वन क्षेत्र को अनारक्षित घोषित करने का कोई प्रमाणपत्र जारी किया है। इसके जवाब में केन्द्र सरकार के इस मंत्रालय ने 14 फरवरी 2020 को जवाब दिया कि इस तारीख तक 12 प्रस्ताव हरियाणा सरकार ने एनओसी और अनारक्षित घोषित करने के भेजे हैं। मंत्रालय ने इन 12 प्रस्तावों में से तीन पर विचार किया। लेकिन इन तीनों शिक्षण संस्थानों का जिक्र मंत्रालय की सूची में नहीं है।

इसके बाद 27 अगस्त 2020 को आरटीआई के तहत एमसीएफ से पूछा गया कि क्या नगर निगम फरीदाबाद ने इन तीनों संस्थानों को चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) में बदलाव की अनुमति दी है। क्या इन तीनों संस्थानों ने वन विभाग से कोई एनओसी हासिल की है। एमसीएफ ने इस आरटीआई का जवाब 27 सितम्बर 2020 को देते हुए लिखा कि अभी तक वन विभाग ने मानव रचना और एमवीएन को एनओसी देने की जानकारी एमसीएफ को नहीं दी है लेकिन एमसीएफ ने अरावली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में जिला योजनाकार (डीटीपी फरीदाबाद) से सूचना मांगी है। अलबत्ता एमसीएफ ने इन तीनों शिक्षण संस्थानों को सीएलयू प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।

बहरहाल, 27 अगस्त 2020 को आरटीआई के तहत डिप्टी कंजरवेटर वन (डीसीएफ) फरीदाबाद से पूछा गया कि क्या इन तीनों शिक्षण संस्थानों ने विभाग से इन जमीनों का इस्तेमाल गैर वन वाले (नॉन फॉरेस्ट) हैं।

वन विभाग के अफसर ने इस आरटीआई का जवाब 19 अक्टूबर 2020 को देते हुए लिखा कि इन तीनों शिक्षण संस्थानों ने पीएलपीए लैंड पर अपनी बिल्डिंगें खड़ी की हैं। अधिकारी ने कहा कि यह मामला वन संरक्षण कानून के तहत देखा जाना चाहिए। इन तीनों शिक्षण संस्थानों को गैर वन कामों के लिए कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

क्या सिद्धदाता आश्रम अवैध है

अरावली इलाके में ही सिद्धदाता आश्रम है। इस बेशकीमती जमीन को हरियाणा के सीएम रहे भजनलाल ने मंदिर को दिलाया था। हालांकि भजनलाल इस मंदिर को जमीन नहीं देना चाहते थे, लेकिन बड़ी ही रहस्यमय परिस्थितियों में उन्होंने यह जमीन अफसरों पर दबाव डालकर आश्रम को दिलवाई थी। बाद में आश्रम में गद्दी को लेकर विवाद हुआ और मामले ने कई मोड़ लिए। हालांकि पूरा आश्रम पीएलपीए लैंड पर बना है, यानी वन क्षेत्र की जगह पर बना है। इस आश्रम का संचालक खुद को हरियाणा और इन्द्रप्रस्थ का पीठाधीश्वर और जगद्गुरु कहलवाता है। इसके हर दल के नेताओं और अफसरों से संबंध हैं। कई पत्रकार इस जगद्गुरु की छत्रछाया में पनप चुके हैं और कुछ पींगे बढ़ा रहे हैं।

अरावली में 6000 करोड़ की जमीन पर कब्जा: डॉ ब्रह्मदत्त

सुप्रीम कोर्ट के वकील और पद्मश्री डॉ ब्रह्मदत्त का कहना है कि फरीदाबाद अतिक्रमणों अनधिकृत निर्माणों का काला कलंकित इतिहास बन गया है। अरावली पर्वतमाला फरीदाबाद में करीब साढ़े पांच सौ अनधिकृत निर्माण हैं, करीब 6000 करोड़ रुपये की भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है और आज भी तेज गति से जारी है। अरावली में भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से हजारों हजार छोटे-छोटे घर गरीबों से पैसे ऐंठ कर बनवा दिए गए थे। अब खानापूर्ति के लिए उन्हीं मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। गरीबों के साथ इस घोर अन्याय की जिम्मेदारी कौन लेगा? नेता और अधिकारियों की खूब चांदी हो रही है। कभी-कभार कोर्ट के आदेशों पर विशेष रूप से चिह्नित अनधिकृत निर्माणों को ढहाया भी गया लेकिन वे फिर बना लिए जाते हैं। गरीब बुरी तरह बर्बाद किए जा रहे हैं। इस भेदभाव को लेकर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जबकि इस सबके लिए कुछ अधिकारियों, कुछ नेताओं और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी और फर्ज की लाज रखते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाही, लेकिन फरीदाबाद के बाहुबली भूमाफियाओं ने उन्हें चलता कर दिया और वे बेचारे अपने फर्ज की गठरी उठाकर चलते बने।

दुकानों में घुसकर काट रहे हैं मास्क का चालान

फ़रीदाबाद, (ममो) शहर की क़ानून व्यवस्था की चिन्ता छोड़कर पुलिस ने हर चौराहे और दुकानों व घरों में घुसकर मास्क न पहनने का चालान काटने की मुहिम छेड़ दी है। हालाँकि सरकार ने कमाई का यह अच्छा ज़रिया खोज लिया है लेकिन चालान की बजाय फ़रीदाबाद पुलिस के बर्ताव से लोग परेशान हैं। चौराहों पर होमगार्ड तक चालान की पर्ची काट रहे है। ये पर्चियाँ कितनी वैधानिक हैं ये आला पुलिस अफ़सर और सरकार ही बता सकती है।

सेक्टर 21 में शुक्रवार को प्राइवेट गाड़ी में घूम रहे पुलिस वाले दुकानों में घुसकर चालान काटते दिखे। लेकिन दुकानदारों को चालान से ज़्यादा इन पुलिस वालों का रवैया बुरा लगा। कुछ दुकानदारों ने पैसे देकर पीछा छुड़ाया।

चालान के मामले में सबसे ज़्यादा मौज में होम गार्ड हैं। सारे ट्रैफ़िक पुलिस वाले चौराहों का ट्रैफ़िक संभालने की बजाय चालान काट रहे हैं और ज़िम्मेदारी होम गार्डों पर डाल दी है। होम गार्ड भी पीछे क्यों रहते, उन्होंने पर्चियाँ ले रखी है और वे बाइक से लेकर साइकिल पर चलने वालों का चालान काट रहे हैं।

ऑनलाइन तमाशा विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं पर पड़ रहा भारी

डिजिटल हरियाणा ने निचले तबके की आसानियां कम कीं, परेशानियां बढ़ाईं

चन्द्र प्रकाश

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार की डिजिटल सनकपन का ताजा शिकार अब विधवा पेंशन की पात्र महिलाएं हो रही हैं। मोदी-खट्टर ने डिजिटल हरियाणा के लिए खुद की पीठ थपथपा डाली, लेकिन इस वजह से जनता को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वह शायद मोदी-खट्टर को नहीं मालूम। विधवा पेंशन योजना एक अच्छी योजना है, लेकिन जब उसका फायदा ही किसी को न मिले तो ऐसी योजना का विधवा महिलाएं क्या करें। हरियाणा में 1980-1981 में इस श्रेणी की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया था। शुरुआत में यह राशि 50 रु. निर्धारित की गई, लेकिन अब यह राशि 2250 रु. हो गई है जो मई माह से 2500 रुपये मिलने लगेगी। विधवा महिलाओं के लिए इस राशि की अहमियत तब और अधिक बढ़ जाती है, जब घर में आय का कोई दूसरा साधन न हो। लेकिन जब से खट्टर सरकार ने ऑनलाइन का तमाशा शुरू किया है, तब से जनता को मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रभावित हुई हैं।

लोगों की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ गई हैं, सामान्य काम के लिए लोग बेवजह धक्के खाने को मजबूर हैं। खट्टर के डिजिटल हरियाणा में वक्त की मारी बेसहारा विधवा महिलाओं को जलील और बेइज्जत किया जा रहा है। जिन विधवा महिलाओं के पास अपने मरने वाले पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र कंप्यूटरराइज्ड नहीं है, अर्थात नगर निगम कर्मचारी द्वारा हाथ से बनाया गया है, उन्हें इस प्रमाणपत्र की सत्यता की पुष्टि के लिए दोबारा नगर निगम फरीदाबाद भेजा जा रहा है। उसके बाद ही उनके विधवा पेंशन की फाइल जमा होगी।

एमसीएफ के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और व्यवहार हर कोई जानता है। आम आदमी के साथ वहां कैसा बर्ताव किया जाता है और कितने चक्कर कटवाए जाते हैं, ऐसी कहानियां आम हैं। जो दस्तावेज एमसीएफ ने खुद बनाए हैं, फिर से उनकी पुष्टि के लिए विधवा महिलाओं को धक्के खिलाने की बजाय पेंशन विभाग स्वयं अपने स्तर पर उनकी जांच करे तो क्या हर्ज है? लेकिन जब काम करने की नीयत नहीं होती तो प्रार्थी को बेवजह परेशान करना निकम्मे और नालायक कर्मचारियों की आदत बन जाती है।

जिले में ऐसे बेतुके फरमान जारी करने वाली पंचायत अधिकारी को सोचना चाहिए कि कोई महिला खुद को फर्जी विधवा बनाना चाहेगी? अपने पति का नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहेगी? खैर, जो भी हो जिले की विधवा महिलाओं को बड़ी ही अनैतिक वाहियात नीतियों से गुजरना पड़ रहा है। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु के समय निगम जिस तरह से प्रमाण पत्र बनाएगा वही मान्य होगा, लेकिन खट्टर के डिजिटल हरियाणा में कंप्यूटर प्रमाणपत्र की स्थिति अलग मानी जा रही है।

गतांक की चीर-फ़ाड़

राफेल के सौदे में दोनों तरफ से राष्ट्रीय हित की दुहाई

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 11-17 अप्रैल 2021 के अंक में ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। राफ़ेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा एक्टिविस्ट व वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार द्वारा पेश भ्रामक पत्र के आधार पर 2019 में रद्द कर दिया था। लेकिन फ्रांस की न्यूज वेबसाइट 'मीडिया पार्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक राफ़ेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने भारतीय बिचौलिए को 11 लाख यूरो 'बतौर गिफ़्ट' दिए थे। इस सौदे में हुए भ्रष्टाचार पर तैयार की गई रिपोर्ट के तीन भाग रिलीज किए जा चुके हैं। मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि उसके पास वे दस्तावेज मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि दसॉ एविएशन और उसकी औद्योगिक भागीदार थेल्स (रक्षा इलेक्ट्रॉनिक फर्म) ने बिचौलिए सुसेन गुप्ता को 'सीक्रेट कमीशन' दिया था। 'राफेल सौदे में भारत के कहने पर मिला अनिल अंबानी को ठेका: मीडिया पार्ट' में राफेल सौदे में 'गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील' में फ्रांस और भारत सरकार द्वारा दलाली, बिचौलिए आदि पर डाले गए पर्दे को बेनकाब किया है।

अत: फ्रांस की वेबसाइट के खुलासे के बाद राफ़ेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच कराए जाने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में बिचौलिए को कमीशन कैसे दिया गया?

मीडिया पार्ट रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने दसॉ एविएशन के खातों के ऑडिट में पाया कि क्लाइंट को दिए गए 11 लाख यूरो गिफ्ट के लिए विमान के मॉडल बनाने वाली भारत की कंपनी का बिल लगाया गया है। बिल के बारे में कंपनी ने कहा कि भारतीय कंपनी 'डेफसिस सोल्यूशंस' से राफेल के 50 मॉडल बनाए और प्रति मॉडल 20,357 यूरो का भुगतान किया। लेकिन ये मॉडल कहां और कैसे इस्तेमाल हुए, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी रक्षामंत्री और भारतीय रक्षामंत्री मनोहर परिंकर ने सितम्बर 2016 में किए सौदे के कॅन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार विरोधी शर्त को हटा दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद पर भी इस सौदे के मामले में भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगे थे। लेकिन फ्रांस की वित्तीय अपराध शाखा की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की पूर्व प्रमुख इलिएन हुलेत ने फ्रांस के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के नाम पर राफ़ेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार की जांच को ताक पर रख दिया था।

पुलिस-सत्ता का आपराधिक गठजोड़ देश के हर राज्य के प्रशासन का अभिन्न अंग बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार के लिये दिए गए प्रकाश सिंह फ़ैसले के संदर्भ में आज तक किसी भी राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था में सुधार करने का साहस नहीं जुटाया है, जिसकी 'यह पुलिस क्यों सुधर नहीं पा रही' में समीक्षा की गई है। दरअसल सचिन वाझे प्रकरण ने महाराष्ट्र पुलिस की साख को दागदार कर दिया है।

ध्यान रहे कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाझे और पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बीच घनिष्ठता थी। वाझे एक जूनियर रैंक का अधिकारी होते हुए भी सीधे परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था और गिरफ़्तारी, रेड, रिमांड की दख्वास्त, अंतरिम जमानत आदि पर वाझे के निर्देशों के अनुसार निर्णय लिए जाते थे। मंत्री व गृहमंत्री के पास महत्वपूर्ण मामलों में ब्रीफिंग के लिए वाझे परमबीर सिंह के साथ जाया करता था। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद परमबीर सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफ़ारिश पर ही 16 वर्ष बाद वाझे पुलिस विभाग में पुन: बहाल हुआ था और जॉइन्ट कमिश्नर 'क्राइम' संतोष रस्तोगी के विरोध के बावजूद परमबीर सिंह ने वाझे को क्राइम इंटेलीजेंस यूनिट (सीआईयू) में एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग दी थी। कमाऊ पूत वाझे ने पद के पदानुक्रम की कभी परवाह नहीं की। स्पष्ट है कि मुंबई पुलिस को किसी कानून-कायदे से चलाने की बजाए किसी क्राइम सिंडिकेट के तरीके से चलाया जा रहा था।

पुलिस विभाग, सत्ता व अदालत की मिलीभगत से एसएचओ विशाल तथा हवलदार अमित को गुड़गांव के अतिरिक्त सेशन जज अश्विनी कुमार ने जमानत दे दी है। दिलचस्प है कि फिरौती की रकम में से वसूले गए 57 लाख रुपए की बरामदगी नहीं हुई है। शायद यह लूट का माल नीचे से ऊपर तक पहुंच चुका होगा। ध्यान रहे कि खट्टर सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा एक जुमला बन कर रह गया है और बड़बोले भाजपाई नेता व गृह मंत्री अनिल विज अपनी पुलिस के लूट के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

पुलिस द्वारा उपरोक्त लूट के मामले की तरह हरियाणा में भी खट्टर सरकार के समय से पुलिस द्वारा लूट का सिलसिला कुछ ज्यादा ही तेज़ी से चल रहा है। दिल्ली में नग, पत्थर व मोती आदि के बड़े कारोबारी नवीन का आपसी लेन-देन विवाद में गुड़गांव के खेड़कीदौला थाने में पुलिस द्वारा उत्पीड़न करके एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जिसका '57 लाख रिश्वत केस: एसएचओ व हवलदार की जमानत सीपी ने मुकदमे की परमिशन नहीं दी थी' में खुलासा किया गया है।